राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प. 7(12)प्राशि/आयो/2018 जयपुर, दिनांकः 10.08.2018

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में राजस्थान सिविल सेवा (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक, प्राध्यापको का विशेष चयन और सेवा के विशेष शर्ते) नियम 2005 एवं संशोधित नियम–2018 की अधिसूचना एफ7(3)डीओपी/ए–II/2005 जयपुर दिनांक 27.07.2018 के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता एवं व्याख्याता के विभिन्न पदों के विरूद्ध पैनल तैयार करने के संबंध मे।

संदर्भः– आपका पत्रांक शिविरा/प्रार/शिप्र/4447/2018 दिनांक 09.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में राजस्थान सिविल सेवा (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक, प्राध्यापको का विशेष चयन और सेवा के विशेष शर्ते) नियम 2005 एवं संशोधित नियम–2018 की अधिसूचना एफ7(3)डीओपी/ए–II/2005 जयपुर दिनांक 27.07.2018 के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता एवं व्याख्याता के विभिन्न पदों के विरूद्ध पैनल तैयार करने के संबंध में आप द्वारा प्रेषित विज्ञप्ति अनुमोदन पश्चात् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।

(एस.एन.यादव)
अनुसंधान अधिकारी

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / प्रार / शिप्र / 4447 / 2018 / दिनांक

विज्ञप्ति

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में राजस्थान सिविल सेवा (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक, प्राध्यापको का विशेष चयन और सेवा के विशेष शर्ते) नियम 2005 एवं संशोधित नियम–2018 की अधिसूचना एफ7(3)डीओपी / ए–II / 2005 जयपुर दिनांक 27.07.2018 के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता एवं व्याख्याता के विभिन्न पदों के विरूद्ध पैनल तैयार करने हेतु राजस्थान राज्य के प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा विभाग में समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैः–

क.स.	नाम पद	योग्यता	आवेदन पत्र प्राप्त करने के अंतिम दिनांक
1.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक एवं प्राध्यापक	शिक्षा विभाग,राजस्थान सरकार मे समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी एवं शैक्षिक योग्यता मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तो और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम–2014, समय–समय पर यथा संशोधन के अनुसार। उक्त हेतु पी.एच.डी. योग्यताधारी,शिक्षा में अनुसंधान प्रशिक्षण,प्रबन्धन तथा मूल्यांकन,लर्निग मेटेरियल तैयार करने (प्रिन्ट एवं श्रव्य दृश्य) एवं पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण मे अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।	

शर्तेः–

1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के निम्नलिखित पदों हेतु ही चयन की प्रक्रिया की जा रही हैः–
   (i) उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता एवं व्याख्याता के स्पष्ट रूप से रिक्त पद।
   (ii) ऐसे पद जिन पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों राजस्थान सिविल सेवा (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक, प्राध्यापको का विशेष चयन और सेवा के विशेष शर्ते) नियम 2005 एवं संशोधित नियम–2018 की अधिसूचना एफ7(3)डीओपी / ए–II / 2005 जयपुर दिनांक 27.07.2018 के अनुसार निर्धारित योग्यता नहीं रखते है।
2. जिन पदों पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी राजस्थान सिविल सेवा (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक, प्राध्यापको का विशेष चयन और सेवा के विशेष शर्ते) नियम 2005 एवं संशोधित नियम–2018 की अधिसूचना एफ7(3)डीओपी / ए–II / 2005 जयपुर दिनांक 27.07.2018 के अनुसार निर्धारित योग्यता रखते हैं, उन पदों हेतु चयन प्रक्रिया नहीं रखी जावेगी तथा इन पदों पर कार्यरत अधिकारी यथावत कार्य करेंगे।
3. आवेदक प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा विभाग में समकक्ष पद पर कार्यरत होना आवश्यक है। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं है।
4. आवेदक को आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
5. वेतन भत्ते राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगें।
6. आवेदक राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत किसी प्रकार दण्डित नहीं किया गया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विगत सात वर्षो के सेवाकाल में वार्षिक कार्य मूल्यांकन में प्रतिकूल प्रविष्टी होने के संबध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
8. चयनित अभ्यर्थियों का योग्यता के क्रम में पैनल तैयार किया जायेगा, जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा दी गयी सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाये जाने पर उसका साक्षात्कार निरस्त किया जा सकता है, तथा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

www.rajteachers.com

10. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को योग्यता, अनुभव एवं किये गये विशिष्ट कार्यो से संबंधित मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगें।
11. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
12. साक्षात्कार हेतु पदों की संख्या में कमी/वृद्धि का अधिकार निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर का रहेगा।
13. साक्षात्कार दिवस हेतु अलग से सूचित किया जायेगा।
14. आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

www.rajteachers.com

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

वाक इन इन्टरव्यू हेतु स्कोर शीट

अभ्यर्थी का नामः–
पदस्थापन स्थान–
पे मेट्रिक्स लेवल–
आवेदित पद–   वर्तमान पद पर आरपीएससी/डीपीसी से चयनित वर्ष

भाग–अ–20 अंक

क. स.	योग्यता विवरण	अधिकतम अंक	प्राप्तांक अंक	वि.वि
1.	अधिस्नातक 55/. प्रतिशत से अधिक पर 3 अंक 55/. प्रतिशत से कम पर 2 अंक	03 अंक		
2.	एम.एड. 55/. प्रतिशत से अधिक पर 3 अंक 55/. प्रतिशत से कम पर 2 अंक	03 अंक		
3.	एम.एड. (डेजरटेशन क साथ)	02 अंक		
4.	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में कार्य का अनुभव (SIERT/DIET)न्यूतनतम 02 वर्ष	02 अंक		
5.	पी.एच.डी. शिक्षा में 5 अंक अन्य विषय में 2 अंक	05 अंक		
7.	शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण/प्रबन्धन/मूल्यांकन/प्रिंट एवं श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण में योगदान तथ अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अंक राज्य स्तर पर 3 अंक	05 अंक		

भाग–ब–30 अंक

साक्षात्कार	अधिकतम अंक	प्राप्तांक
व्यक्तित्व,बुद्धिमत्ता,कार्यदक्षता,प्रबंधकीय,नेतृत्व क्षमता एवं पहल करने की योग्यता	30	

कुल प्राप्तांकः– अ+ ब.....................

(हस्ताक्षर अध्यक्ष)   (हस्ताक्षर सदस्य सचिव)   (हस्ताक्षर सदस्य)

www.rajteachers.com